# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 637/2019 मिलापचन्द / कल्लीदेवी<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 225 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18.12.19 | आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान प्रश्नगत भूमि के बेचान पत्र दिनांक 12/5/2008 एवम् 04/6/2009 की छायाप्रति की ओर आकर्षित करा कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रार्थीगण एवम् इस न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय/हस्तान्तरित कर उसका कब्जा डिगर को सम्भला दिया गया था, ऐसे मे प्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्टस का विवादग्रस्त भूमि मे कोई हक अधिकार नही होने पर भी उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य अंकित कर तकासमा का वाद एवम् प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध पारित करवा लिया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस मे आगे निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण/रेस्पो का कोई अधिकार शेष नही रहने के बावजूद भी इनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से आदेश जैर अपील प्राप्त कर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बेवजह परेशान करने की नियत से पाबन्द करवा दिया गया। जो न्याय के विरुद्ध होने से निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे।<br><br>अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन | |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

त्रिलोकचन्द / मूलचीदेवी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 637/2019 | |

किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से अन्तरिम आदेश पारित किया गया है, जिसमे कोई विधिक त्रुटी नही है। अपीलार्थी को यदी कोई आपत्ति है तो उनके समक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे चाराजोही का अवसर मोजूद है। अत: अपील आधारहीन एवम् अधारण योग्य नही होने से खारिज करमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान् पर गौर किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट-2 द्वारा सन्दर्भित बेचान पत्रो को गलत होना या उनके पक्षकार द्वारा किया हुआ नही होना जाहिर नही किया गया है एवम् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त विक्रय पत्र आदेश जेर अपील पारित करते वक्त मोजूद नही होने से प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस के हक मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जेर अपील दिनांक 21/10/2019 पारित किया गया है, वह उचीत प्रतीत नही होने से खारिज किया जाता है एवम् प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय सन्दर्भित विक्रय पत्रो का मनन कर उसके अनुसार प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस के अस्तीत्व की जांच कर उभयपक्षो को सुनवाई

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

त्रिलोकचन्द / कमलादेवी

| तारीख हुक्म | 637/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। उभयपक्षकारान् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03/1/2020 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। | |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर